न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (राoमाo)

पीठासीन अधिकारी:— सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07 / 2024	17.05.2024	26.05.2025

1. रामअवतार पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला राoमाo।
2. मदनमोहन पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला राoमाo।

—प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र कल्ला जाति जाट निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला राoमाo।
2. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री अंजनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
श्री हरिमोहन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है:—

- यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वांके ग्राम पीपल्दा मे स्थित है। उक्त प्रार्थी की आराजी ख.नं. 12 ग्राम गोठडा की सरहद के पास स्थित है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।
- यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर आने जाने कृषि संसाधन ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता गोठडा से ग्राम मेइकला की ओर गुजरने वाली सडक से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख.नं. 800 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 791 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वांके ग्राम गोठडा मे स्थित भूमि की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर गुजर कर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 12 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता 15 फीट चौडाई में है।
- यह कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 12 पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता गोठडा मेइकलां सडक से गुजर कर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 800 व ख.नं. 791 की पश्चिमी मेड से गुजरकर प्रार्थीगण के खेत पर पहुंचता है। इसलिए प्रार्थी राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा अनुज्ञा के लिए आवेदन है।
- यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर पहुंचने आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने व ले जाने के काम में ले रहे हैं, जो 15 फीट चौडाई मे है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थी सं. 01 द्वारा दिनांक 08.11.2023 सुबह 10.00 बजे जोट लगाकर फसल कर कर लि[illegible] प्रार्थीगण का खेत पर आना जाना बन्द हो गया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को [illegible] से मना किया तो अप्रार्थी नाराज हो गये और मां बहनो की [illegible] उतारू हो गया। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)
सत्यमेव जयते

- यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 08.11.2023 को समय करीब सुबह 10.00 बजे उक्त 15 फीट चौडा रास्ता जो गोठडा मेइकला सडक से गुजर कर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 800 व ख.नं. 791 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे गुजर कर प्रार्थीगण के खेत की ओर जा रहा था जिसे अतिक्रमण कर कब्जा कर फसल बोकर बन्द करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- यह कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।
- यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं।
- यह कि अप्रार्थी संख्या 02 लैण्ड होल्डर है इसलिए फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, वांके ग्राम पीपल्दा, तहसील खण्डार मे स्थित भूमि पर आने जाने कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु आम सडक गोठडा मेइकलों से गुजर कर अप्रार्थी सं 1 की भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 791 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वांके ग्राम गोठडा तहसील खण्डार मे स्थित भूमि की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक दिया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। जो निम्न प्रकार है।

- प्रार्थीगण के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया है और विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी की आराजीयात खसरा नम्बर 800 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 791 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाकें ग्राम गोठड़ा में स्थित है। जो कि ग्राम गोठड़ा की अन्तिम सरहद पर स्थित है। अप्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजीयात के बाद ग्राम गोठड़ा का हार की सीमा समाप्त हो जाती है और ग्राम पीपल्दा की सरहद प्रारम्भ हो जाती है। प्रार्थी की आराजीयात ग्राम पीपल्दा के हार में स्थित है तथा अप्रार्थी की आराजीयात ग्रम गोठड़ा के हार में स्थित है। ग्रम गोठड़ा के हार में जाने का रास्ता ग्राम गोठड़ा के चलकर ग्राम गोठड़ा के हार में जाता है। ग्राम पीपल्दा के हार का रास्ता ग्राम पीपल्दा से चलकर ग्राम पीपल्दा के हार में जाता है। इसलिए प्रार्थी के खेतो पर आने–जाने का रास्ता पूर्व से ही ग्राम पीपल्दा से चलकर पीपल्दा के हार में होकर निकला हुआ है।
- यह कि उक्त आराजीयात को प्रार्थी के पिता ने ग्राम पीपल्दा के व्यक्ति से क्रय किया था तथा प्रार्थी के पहले उक्त आराजीयात को पीपल्दा का व्यक्ति ग्राम पीपल्दा के हार से जाने वाले रास्ते से आकर कास्त करता चला आया है। और क्रय किये जाने के बाद से प्रार्थी भी उसी पीपल्दा के हार के रास्ते से आकर कास्त करता चला आ रहा हैं प्रार्थी के उक्त खेतो पर आने–जाने का होते हुए भी प्रार्थी रंजीश वंश अपने खेतो को दूसरे रास्ते के रूप में अप्रार्थी के खेतो में होते हुए पक्की सड़क से जोड़कर रास्ता निकालना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है ना ही ग्राम पीपल्दा के हार में जाने का रास्ता गोठड़ा के हार में होकर है ।
- यह कि प्रार्थी की उक्त आराजीयात [illegible] रास्ता पूर्व से ग्राम पीपल्दा के हार में होकर निकला है [illegible] आता जाता है इसलिए प्रार्थी को कोई अधिकार नही है कि वह अप्रार्थी [illegible] होकर रास्ता निकाले ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.) सत्यमेव जयते

- यह कि प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने का पूर्व से कच्चा रास्ता होने के बावजूद भी अपनी आराजीयात को पक्की सड़क से जोड़कर बद नियती पूर्वक अपनी आराजीयात की किमत बढाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।
- यह कि प्रार्थी द्वारा वादकारण ही मदगढ़त कहानी के आधार पर बनाया गया है।
- अतः सेवामें जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्यय खारिज फरमाया जाने की कृपा करे।

3. उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दोनो पक्षों की उपस्थित में मौका रिपोर्ट भू0अभि0 निरीक्षक की उपस्थित में देखे जाने हेतु पाबन्द किया गया और तहसीलदार खण्डार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खण्डार ने जरिये पत्र दिनांक 31.07.2024 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु निकटतम् कोई राजस्व रिकार्ड में रथाई रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी की भूमि पर पहुचने हेतु ग्राम गोठड़ा के खसरा नम्बर 791 की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ होने के कारण ग्रम गोठड़ा के आराजी खसरा नम्बर 791 व 800 में से आवागमन हेतु निकटतम् रास्ता दिया जाना सुविधा जनक रहेगा। प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु ग्राम गोठड़ा की सरहद पर स्थित खसरा नम्बर 791 व 800 में वांछित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ग्राम गोठड़ा के खसरा नम्बर 791 मे से 90 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 360 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 800 में से 64 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 256 वर्गमीटर भूमि रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

4. वकील बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए बहस की गई। जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा ग्राम पीपल्दा पर पहुच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 791 की दक्षिणी सीमा से खसरा नम्बर 800 से होकर निकटतम् रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ग्राम पीपल्दा के हार से अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक नहीं पहुचं रहा है। इस कारण से प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु उक्त रास्ता को दर्ज रिकोर्ड करवाने की आंत्यातिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करे रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी की आराजीयात खसरा नम्बर 800 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 791 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाकें ग्राम गोठड़ा में स्थित है। जो कि ग्राम गोठड़ा की अन्तिम सरहद पर स्थित है। अप्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजीयात के बाद ग्राम गोठड़ा का हार की सीमा समाप्त हो जाती है और ग्राम पीपल्दा की सरहद प्रारम्भ हो जाती है। उक्त आराजीयात को प्रार्थी के पिता ने ग्राम पीपल्दा के व्यक्ति से क्रय किया था तथा प्रार्थी के पहले उक्त आराजीयात को पीपल्दा का व्यक्ति ग्राम पीपल्दा के हार से जाने वाले रास्ते से आकर कास्त करता चला आया है। और क्रय किये जाने के बाद से प्रार्थी भी उसी पीपल्दा के हार के रास्ते से आकर कास्त करता चला आ रहा हैं प्रार्थी के उक्त खेतो पर आने–जाने का होते हुए भी प्रार्थी रंजीश वंश अपने खेतो को दूसरे रास्ते के रूप में अप्रार्थी के खेतो में होते हुए पक्की सड़क से जोड़कर रास्ता निकालना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested

6. वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने ग्राम पीपल्दा की आ.न.

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

12 में आने जाने हेतु ग्राम गोठड़ा के ख. न. 791 व 800 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 12 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है एवं प्रार्थी की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु आराजी सं. 791 व 800 की दक्षिणी सीमा से 04 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ग्राम पीपल्दा के अन्य कोई खसरा नम्बरान से निकटतम रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया है एवं ग्राम गोठड़ा के खसरा नम्बर 791 व 800 के अलावा अन्य कोई खसरा नम्बरान से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की ग्राम पीपल्दा आ.न. 12 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और ग्राम पीपल्दा में आ. न. 12 में आने जाने के लिये ग्राम गोठड़ा की आ. न. 791 व 800 की दक्षिणी मेड से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 791 में से रास्ता देने पर लम्बाई 90 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर = कुल 360 वर्गमीटर व 800 में से रास्ता देने पर लम्बाई 64 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर = कुल 256 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 791 में रास्ते से प्रभावित रकबा 360 वर्गमीटर व आ. न. 800 में रास्ते से प्रभावित रकबा 256 वर्गमीटर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से प्रतिकर देय है, प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में राशि 70,604/– रूपये जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स. मा.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.10 11:35:39 IST
Reason: SelfAttested